

## नागरिक शिकायत सूचना पत्र

Seaside Heights Police Department के सदस्य नियुक्त, भावी और निर्यात डंग सेकानून लागूकराने की सेवा देनेके लिए तैयार है। यह सभी के सर्वश्रेष्ठ महिषा है कि किसी विशेष अधिकारी के दश,न के बारेमें आपकी शिकायत को नियुक्त डंग से और शी.ता सेहल किया जाए। आपकी शिकायत की जाँच के लिए पुलिस विभाग के पास आपका 2रक किया है। इन शिकायतों का डिजाइन नागरिकों और कानून लागूकरानेवाले अधिकारियों, दोनोंके अधिकारोंकी रक्षा करने और निर्यात सिनि 7त करनेके लिए किया गया है:

1. गुमनाम शिकायतों सहित किसी भी शिकायत / कर्मचारी के बारेमें कदाचार की 2रपोर्ट, या शिकायत किसी भी समय =ीकार की जानी चाहिए।
2. शिकायतकर्ता, की आयु, न, न, धर्म, लिंग, यौन अभिव्यक्ति, विकलांगता या आश्रित: अति की परवाह किए बिना शिकायत =ीकार किया जाएगा।
3. आपकी शिकायत को किसी उच्च अधिकारी या आंतरिक मामलोंके लिए विशेष रूप से शिकायत अधिकारी के पास भेजा जाएगा जो मामलेकी विवेक और उचित जाँच करेगा।
4. आपको घटना के बारेमें विवरण देकर जाँच में मदद करनेके लिए कहा जा सकता है कि जाँच था या / और अंतिम, जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध करानेके लिए कहा जा सकता है।
5. कानून लागूकरानेवाले अधिकारियोंके लिए सभी शिकायतोंकी विवेक जाँच की जाती है। यदि अनुरोध किया जाता है, तो आपको जाँच की शुरुआत और उसके अंतिम परिणाम से अवगत कराया जाएगा, और आप संपर्क, जानकारी दान करते हैं। अधिपत सटीक सजा गोपनीय है, लेकिन जाँच के अंतिम परिणाम के बारेमें आपको सूचित किया जाएगा, अतः:
  - a. शिकायत की वैधता मान ली गई: सबूतोंको देखनेसे पता चलता है कि अधिकारी निसी कानून; विनियमन; महायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या शिकायत; एजेंसी कोर्टों; पंचालन शिकायत; शिकायत; या शिकायत का उल्लंघन किया है।
  - b. शिकायत निराधार पाया गया: सबूतोंको देखनेसे पता चलता है कि कथित कदाचार नहीं था।
  - c. दोषमुक्त कर दिया गया: सबूतोंको देखनेसे पता चलता है कि कथित आचरण था, लेकिन किसी भी कानून; विनियमन; महायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या शिकायत; एजेंसी कोर्टों; पंचालन शिकायत; शिकायत; या शिकायत का उल्लंघन नहीं किया गया था।
  - d. शिकायत अवैध है: आरोप को खारिज करनेया खारिज करनेमें जाँच पया, सबूतोंका खुलासा करनेमें विफल रहा।
6. यदि हमारी जाँच यह दर्शाती है कि अपराध किया गया हो सकता है, तो काउंटी अभियोजक को सूचित किया जाएगा। आपको अदालत में गवाही देनेके लिए कहा जा सकता है।
7. यदि हमारी जाँच के परिणामोंमें किसी अधिकारी पर विभाग के नियमोंके उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो विभागीय सुनवाई में आपको गवाही देनेके लिए कहा जा सकता है।
8. यदि हमारी जाँच दर्शाती है कि शिकायत निराधार है या अधिकारी ने ठीक से काम किया है तो मामला बंद कर दिया जाएगा।
9. आंतरिक मामलोंकी जाँच गोपनीय है और सभी अनुशासनात्मक सुनवाई जनता के लिए बंद रहेगी, जब तक कि शिकायत अधिकारी खुली सुनवाई का अनुरोध नहीं करता है।

10. आप मामलेके बारेमें किसी भी अतिर; जानकारी या किसी भी ] के साथ Internal Affairs को 732-793-1800 extension 222 पर कॉल कर सकतेहै।